

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर ।
क्रमांक— ई-11/ नर्स-2/ एमएससी/ 11/ २००८ दिनांक— 16-9-11
आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2011-12 में दो वर्षीय एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण करने हेतु निम्नांकित नर्स-2, जिनमें क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक का भगवान महावीर कैंसर हॉस्पीटल रिसर्च सेन्टर, जयपुर, क्रम संख्या 2 पर अंकित कार्मिक का जयपुर हॉस्पीटल कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर व क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्मिक का चयन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर हेतु किया गया है। इन्हें दिनांक— 20.09.11 तक अपनी उपस्थिति संबंधित कॉलेज में प्रस्तुत करनी है। इन कर्मियों के आवेदन निम्न शर्तों पर अंग्रेषित किये गये थे—

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रशिक्षण उपरांत कार्मिक किसी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेंगे।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जायेगी।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान
1	जयश्री सी.एस.	नर्स-2	सवाई मानसिंह चिकित्सा जयपुर
2	शाइनी जोन	नर्स-2	जनाना अस्पताल, जयपुर
3	हेमलता सैनी	नोट्यूटर	साठियोअलवर

अतः सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीं को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्मिक द्वारा उक्त शर्तों के अध्यधीन प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें।

नोट:- यदि कोई कार्मिक प्रोबेशन अवधि में है तो उसे प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

क्रमांक— ई-11/ नर्स-2/ एमएससी/ 11/ २००८

दिनांक— 16-9-11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य,
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जनाना अस्पताल, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वैब साईट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजा जयपुर